तारीख हुकम	हुकम कार्यवाही मय इनिशियल्स जज राजस्व आवेदन पत्र संख्या 81/2021 अनवान ~~जमुराम~~ नेमा बनाम ~~मुलाराम~~ सुगान वगैराह
	राज्य सरकार के निर्देशानुसार प्रशासन गांवों के संग अभियान–2021 के अन्तर्गत ग्राम पंचायत मुख्यालय पर न्याय प्रदान करने के उद्देश्य से पक्षकारान ग्राम पंचायत मुख्यालय सांजटा पर जरिये नोटिस तलब होकर दिनांक 09.11.2021 को ग्राम पचायत मुख्यालय राजीव गांधी सेवा केन्द्र सांजटा पर पत्रावली पेश हो। सहायक कलक्टर (रोहित चौहान) (फास्ट ट्रेक) बाड़मेर उपखण्ड अधिकारी, बाड़मेर
09.11.2021	पत्रावली ग्राम पंचायत मुख्यालय सांजटा राजीव गांधी सेवा केन्द्र सांजटा पर पेश हुई। वादीगण एवं प्रतिवादीगण उपस्थित। वादीगण के अधिवक्ता उपस्थित। वादीगण एवं प्रतिवादीगण द्वारा राजीनामा आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया जिसके अनुसार मौजा सांजटा नया गांव सिन्धिओं की ढ़ाणी खसरा नंबर 990/788, 787 996/807, 1139/788 कुल रकबा 46.08 बीघा भूमि का दावा सक्षम न्यायालय में वादीगण नेमा, बिलाई पुत्रियां जीवण की पैतृक भूमि का दावा प्रतिवादीगण के खिलाफ किया था जिसकी पेशी दिनांक 09.11.2021 आज है। गांव के पंचों ने पक्षकारों के बीच प्रशासन गांवों के संग कैम्प में आपस में राजीनामा करवा दिया है क्योंकि पक्षकारान आपस में सम्बधी हैं, जिससे पारिवारिक सम्बंध अच्छे रहें इसलिये पक्षकारों के बीच गांव के पंचों के फैसले अनुसार दोनो पक्ष ने अपना राजीनामा कर लिया है जिससे परिवार मे सम्बन्ध बिगडे नही और रिति रिवाज के अनुसार अच्छे सम्बन्ध रहें। हम वादीगण पंचों के राजीनामे के अनुसार प्रतिवादीगण से इच्छा से राजीनामा कर लिया है जिससे आपस में पारिवारिक विवाद नही बढ़े इसलिये हम हमारा दावा सक्षम न्यायालय में नही चलाना चाह रहे है। अतः निवेदन है कि पक्षकारों के राजीनामे अनुसार हम दावा जरिये राजीनामा विड्रोल (Withdrawal) करना चाहते है इसलिये आवेदन पत्रावली पर आवेदन लेकर उक्त अनुमान के प्रकरण को फैसल करने का आदेश फरमावें। वादीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को स्वीकार किया जाकर लोक अदालत की भावना से वादीगण का वाद इसी स्तर से विड्रो (Withdrawal) किया जाकर प्रत्रावली फैसल सुमार होकर दाखिल दफतर की जाती है। आदेश मजमे आम में सुनाया गया। सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) बाड़मेर (रोहित चौहान) उपखण्ड अधिकारी, बाड़मेर